

Corrigendum

E-Tender No 762/ अधी०गंज० / भण्डार पत्रा० / दिनांक 14-12-2017

कार्यालय-अधीक्षक राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी।

ई-निविदा तिथि परिवर्तन एवं विस्तार सूचना

एतद्वारा राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया स्थित निबलेट बाराबंकी पर निम्न विवरण के अनुसार **आटोमेटिक मिल्क पार्लर विथ साफ्टवेयर एण्ड एसेसरीज** को क्रय किए जाने सम्बन्धी ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। सम्बन्धित आटोमेटिक मिल्क पार्लर विथ साफ्टवेयर एण्ड एसेसरीज को वर्ष 2017-18 में क्रय हेतु ई-निविदा उत्तर प्रदेश सरकार की बेबसाइट <http://etender.up.nic.in> के माध्यम से दिनांक 22-12-2017 को पूर्वान्ह 10.00 बजे से तथा 11-01-2018 के अपरान्ह 05.00 बजे तक ई-टेण्डर के माध्यम से क्रय किया जाना था, परन्तु अपरिहार्य परिस्थितिवश आनलाइन निविदा प्रपत्र प्रक्रिया की तिथियों एवं कुछ नियम व शर्तों में परिवर्तन किया जा रहा है जो निम्नलिखित है।

संशोधित ई-निविदा की नियत तिथि एवं समय:-

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. आनलाइन निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि:- | 22-12-2017 |
| 2. आनलाइन निविदा प्रपत्र जमा करने की प्रारम्भ तिथि:- | 22-12-2017 |
| 3. प्री बिड मीटिंग:- | 17-01-2018 अपरान्ह 11 बजे तक |
| 4. तकनीकी निविदा प्रपत्र की हार्ड कापीजमा करने की अन्तिम तिथि:- | 18-01-2018 अपरान्ह 2 बजे तक |
| 5. आनलाइन निविदा प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि:- | 19-01-2018 पूर्वान्ह 10 बजे तक |
| 6. आनलाइन तकनीकी निविदा खोलने की तिथि:- | 19-01-2018 अपरान्ह 02 बजे |

संशोधित ई-निविदा की नियम व शर्त:-

1. निविदा प्रपत्र शुल्क किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा "**मुख्य तकनीकी अधिकारी राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चकगंजरिया लखनऊ**" के पक्ष में जारी बैंक ड्राफ्ट स्वीकार्य होगा।
2. निविदा डालने वाली फर्मों को उक्तानुसार अर्नेस्ट मनी के रूप में धनराशि का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जो "**मुख्य तकनीकी अधिकारी राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया लखनऊ**" के पक्ष में बन्धक हो स्वीकार्य होगा।
3. धरोहर धनराशि का एफ०डी०आर० जो "**मुख्य तकनीकी अधिकारी राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक गंजरिया लखनऊ**" के पक्ष में बन्धक हो स्वीकार्य होगा।

पूर्व नोटिस/निविदा की अन्य सूचनायें/शर्तें यथावत रहेगी और इसके अतिरिक्त ई निविदा के सम्बन्ध में अंकित समय एवं तिथियाँ उक्तानुसार संशोधित समझी जाए।

(डा०एम०पी०सिंह)

अधीक्षक